न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 177/2022

लिछमणदास पुत्र जगरूपदास के कायममुकामान–

1. रेवती देवी पत्नी लिछमणदास
2. किशनलाल पुत्र लिछमणदास
3. रमेशकुमार पुत्र लिछमणदास
4. नन्दलाल पुत्र लिछमणदास
5. भवानी पुत्र लिछमणदास

सभी जाति महाजन (माहेश्वरी)
निवासीगण ग्राम बांडासर, गडरा रोड जिला बाडमेर
हाल निवासी ग्राम नोहरा, तहसील भीनमाल,
जिला जालोर

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार शिव
जिला बाडमेर

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाडमेर दिनांक 19 जून 1984 प्रकरण संख्या 1/83 सरकार बनाम लिछमणदास

उपस्थित–
श्री गोपालदास राजपुरोहित, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
रेस्पो. की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 04 अक्तूबर, 2024

अपीलाण्ट्स ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा प्रकरण संख्या 1/83 सरकार बनाम लिछमणदास में पारित आदेश दिनांक 19 जून 1984 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है। साथ ही एक

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम पेश करने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिव की ओर से राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवण्टन) नियम 1979 के नियम 14(4) के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर मौजा बाण्डासर स्थित आराजी खसरा संख्या 15 रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा भूमि का लिछमणदास के पक्ष में किये गये आवण्टन को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र बाद आवश्यक कार्यवाही विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19 जून 1984 को जरिये अपीलाधीन आदेश स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि का लिछमणदास के पक्ष में विधिवत आवण्टन सन् 1964 में किया गया, तब से आवण्टी का उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त आवण्टन की शर्तो के अनुरूप कायम रहा और निर्धारित प्रकिया के अनुसार उसे खातेदारी भी प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति में आवण्टन के करीब 19 साल बाद वर्ष 1983 में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवण्टन) नियम 1979 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर आवण्टन निरस्त किया जाना विधिसम्मतः नहीं है। अपीलाधीन आदेश बिना किसी ठोस आधार के पारित किया गया है, क्योंकि आवण्टी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने मजदूरों की सहायता से निरन्तर काश्त की जाती रही है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा आवण्टी की जाति महाजन होने तथा हाल निवास जालोर होने के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो सही नहीं है।

मियाद के संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स का कथन है कि दिनांक 01 जनवरी 2012 को पटवारी हळका द्वारा वादग्रस्त भूमि पर आकर आवण्टी का कब्जा उक्त भूमि पर अवैध बताया गया, तो आवण्टी द्वारा सन् 1964 में उक्त भूमि आवण्टित होना व तब से कब्जा काश्त होना जाहिर किया गया, तो पटवारी हळका द्वारा अपीलाधीन आदेश बाबत जानकारी दिये जाने पर सर्वप्रथम अपीलाण्ट्स को अपीलाधीन आदेश बाबत जानकरी हुई और आवश्यक कार्यवाही कर आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से अंदर मियाद प्रस्तुत कर दी गयी। अतः अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे और अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर आवण्टी की मात्र संवत 2039 व 2024 में ही काश्त रही है, आवण्टी जाति से महाजन है और भीनमाल जिला जालोर में परिवार सहित निवास करते हुए व्यापार करता है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स–अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री केशवराम उपस्थित हुए और उनकी उपस्थिति में ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जाहिर है कि अपीलाण्ट्स को अपीलाधीन निर्णय बाबत आरम्भ से ही जानकारी रही है। अतः मिथ्या तथ्यों पर आधारित मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपील अपीलाण्ट्स मियाद–बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स–अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता केशवराम जोशी उपस्थित हुए, जिनका वकालतनामा भी विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजकीय पैरोकार एवं अधिवक्ता–अप्रार्थी श्री केशवराम की उपस्थित में पारित किया गया है। अधिवक्ता की जानकारी स्वयं पक्षकार की जानकारी कानूनन अवधारित की जाती है। ऐसी स्थिति में जाहिर है कि अपीालण्ट्स–अप्रार्थी को अपीलाधीन आदेश बाबत आरम्भ से ही जानकारी रही है। अतः मिथ्या तथ्यों पर आधारित मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार अपील अपीलाण्ट्स मियाद–बाधित होने से खारिज की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 जून 1984 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04 अक्तूबर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर